(6)

प्रतिलिपि पत्र संख्या ई-3982/जी.एस. दिनांक अगस्त 5.1997 जो श्री एल0मिल्टन, कुलाधिपति के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कुलसचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सम्बोधित है ।

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषयों राजनीतिशास्त्र एवं ललित कला में विशिष्ट परिस्थितियों में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप इस प्रतिबन्ध के साथ कि इसे दृष्टान्त नहीं बनाया जाएगा, दिनांक 1-7-96 से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 353-54/सम्ब0/97-98 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

2- परीक्षा नियंत्रक, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

13/8

13.8.97

13/8

फोन : 5201, पी. बी. एक्स. 3211/201

पत्र संख्या 386/सम्बद्धता/97-98

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उपयुक्त विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक :
कुलसचिव,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर (उ० प्र०)

सेवामें,
श्री राम रक्षा पाण्डेय,
प्रबन्धक,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य कन्या डि०का०,
गोरखपुर ।

दिनांक सितम्बर 5, 1997

विषय: शासन द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त अतिरिक्त विषयों राजनीतिशास्त्र एवं ललित कला में 1-7-96 से कक्षायें प्रारम्भ करनें हेतु औपचारिक अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 110च.र.दे./97-98 दिनांक 6-8-97 द्वारा स्नातक स्तर की कला संकाय में अतिरिक्त विषयों राजनीतिशास्त्र एवं ललित कला में कुलपति महोदय ने 1-7-96 से कक्षायें चलानें हेतु औपचारिक अनुमति शासन के अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करनें के आदेश संख्या ई-3982/जी.एस. दिनांक 5 अगस्त, 1997 द्वारा 1-7-1996 के परिप्रेक्ष में सहर्ष प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

ह०/अपठनीय 5/9/97

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

ह०/अपठनीय 5/9/97

ह०/अपठनीय 5/9

(8)

संख्या- 191 /सत्तर-6/98- 2(32)/91

प्रेषक,

श्री शंकर दत्त तिवारी
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
प0 दीनदयाल उपाध्याय वि0वि0
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 3/3/1998

विषय:- अस्थायी सम्बद्धता हेतु शासन का अनुमति पत्र।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज गोरखपुर को कला संकाय के अति0 विषय शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र मे-

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुमति (क्लियरेन्स) निम्न-लिखित शर्तों के साथ प्रदान की है:-

1- सम्बन्धित विषय में सम्बद्धता दिये जाने के तीन वर्ष अथवा सन्निहित विषय में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने तथा अनुदान सूची में आने तक (जो भी बाद में हो) स्नातकोत्तर स्तर पर दिये गये नये विषय के स्टाफ पर वेतनादि का समस्त व्ययभार तथा प्राचार्य के स्नातक वेतनक्रम मे दिये जा रहे वेतन एवं स्नातकोत्तर प्राचार्य के रूप में देय वेतन का अंतर उपर्युक्त अवधि में स्वयं वहन करेंगे एवं इस आशय की लिखित अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करेंगे।

2- मानकों का पुनर्निर्धारण होने की स्थिति में पुनर्निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने के लिये प्रस्तावक शासन को दो सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे।

3- अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के एक माह के भीतर अशासकीय महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सृजित शिक्षकों के पदों पर

-2-

पालन करते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का आदेश प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी है। अतः सम्बद्धता का आदेश प्राप्त होने से पूर्व इस विषय में किसी भी छात्र को प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जाय। सम्बद्धता की कार्यवाही में विलम्ब होने और शैक्षिक सत्र का अधिक समय बीत जाने पर सम्बद्धता के आदेश आगामी शैक्षिक सत्र से ही प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(शंकर दत्त तिवारी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 191 /सत्तर-6/78- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्धक, चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर। को इस अनुदेश के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय से इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परिनियमों प्राविधानों के अनुसार कालेज का निरीक्षण कराने तथा इस संबंध में उनकी संस्तुति शासन तथा कुलाधिपति के सचिव को विलम्बतम् दिनांक 31-5-78 तक अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें। उक्त दिनांक के पश्चात् शासन की यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

आज्ञा से,

(शंकर दत्त तिवारी)
विशेष कार्याधिकारी।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

(पिन कोड नं०-२२७१३२)

संख्या ई- 9794 /जी०एस० (4)

प्रेषक,

दिनांक 03.11. , 1999

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र एवं ललित कला विषयों में दिनांक १.७.९९ से आगामी ३०.६.२००१ तक की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

विश्वविद्यालय द्वारा आगामी ०३ माह के अन्दर उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियमों में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जाएगा तथा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता की सभी औपचारिकताएं मानक के अनुरूप पूर्ण हैं। औपचारिकताएं अपूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

भवदीय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्ज रोड), इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर ।
५. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

(10)

फोन :

संख्या 667 /सम्बद्धता/99-2000

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक :

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उ० प्र०)

सेवा में, प्रबन्धक/प्राचार्य,
चन्द्रकान्ति रमापती देवी आर्य-
महिला डि०का०, गोरखपुर ।

विषय: स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में कक्षा संचालन के सम्बन्ध में ।

दिनांक सितम्बर 27, 1999

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कुलपति जी ने मुझे आपको यह सूचित करनें का निर्देश दिया है कि :-

1- राज्यपाल सचिवालय के पत्र ई-8527/जी.एस. दिनांक 18-9-99 के अनुसार स्पष्ट रूप से नोटरी शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करनें का कष्ट करें कि "आयोग से चयनित प्राचार्य की नियुक्ति होनें पर प्रबन्ध समिति प्राचार्य को कार्यभार ग्रहण करायेगी"।

2- स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि समाप्त हो गयी है अतः सत्र 1999-2000 के लिये प्रवेश की अनुमति देंना सम्भव नहीं है । अगले सत्र-2000-2001 के लिये ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है ।

भवदीय,

27/9

(बी०आर० कनौजिया)
कुलसचिव

27.9.99

संख्या 744 /सम्बद्धता/99-2000 (17)

फोन :

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक :

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उ० प्र०)

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्यमहिला डि०का०, गोरखपुर

दिनांक नवम्बर 27, 1999

विषय स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में सत्र-2000-2001 से कक्षा संचालन के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या-ई-8527/जी.एस. दिनांक 18-9-99 के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय ने आपके महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में सत्र 2000-2001 से कक्षा संचालन की सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

(बी०आर० कनौजिया)
कुलसचिव

प्रा०पा०स० 7
10/11/99

28.11.99
29/11/99